

दाखल ता 21 JUL 2017
महान्यायाधीश
लोहमार्ग न्यायालय नौद

28/6/17

शिकायत पत्र

मा. न्यायादंडाधिकारी प्रथम वर्ग लोहमार्ग न्यायालय दोंड की सेवा में सविनय सादर

- 01 आर.पी.एफ थाना :- सोलापूर
02 अपराध क्र :- 1056/2015
03 धारा :- 162 रेल अधिनियम
04 घटना का दिनांक एवं समय :- दि. 30/12/16 को समय 12/00 बजे
05 घटनास्थल :- रेल स्टेशन सोलापूर
06 फिर्यादी का नाम एवं पता :- आ/प्र.आ. अशोक चोडमले RPF थाना सोलापूर
07 सलिप्त व्यक्ती का नाम व पता :- सुरेश विजय अहमौपूर, वृ. 23 वर्ष
पता - 56 जगतनगर सोलापूर नक़्शे सोलापूर

- 08 जप्त मुद्देमाल का विवरण :- NIL
09 मा. न्यायालय में हाजिर रहने की :- दि. 4/1/2017 को समय 10/00 बजे
10 जांच अधिकारी :- सचिव प्रभार AS/SIPF थाना सोलापूर
11 घटना का साक्षिप्त विवरण :- मा. न्यायालय की सीमा एवं रेलवे सुरक्षा बल थाना सोलापूर के कार्यक्षेत्र में दिनांक 30/12/16 को कॉलम न. 07 के व्यक्ती द्वारा कॉलम न. 04 के घटनास्थल पर अनाधिकृत रूपसे ट्रेन नं. 1634 नागचोईल एमएल

ट्रेनिंग ब्यौच 8

रेल अधिनियम की धारा 162 का उल्लंघन किया है कारणवश उक्त व्यक्ती को रेल अधिनियम के तहत "नोटीस" जारी कर उचित कानूनी कार्यवाही होने हेतु मा. न्यायालय के समक्ष उक्त मामले का विचारण हेतु पेश किया जा रहा है।

अतः मा. न्यायालय से विनंती है की, उक्त व्यक्ती के विचारण समक्ष उपस्थित करने की कृपा करके उक्त व्यक्ती के पास से जप्तशुदा माल के विचारण हेतु आदेश जारी करने का कृपा करें।

दंड जमा 500

मै.हु.को.जा.व्हाचे

पावनी 0192214

S-Kumar

सलिप्त व्यक्ती के हस्ताक्षर

SURESH

पह. मधीक्षक
लोहमार्ग न्यायालय नौद